Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : DHOD

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 30-07-2020 4:13 PM

Fee Receipt No.	: 202002501002292	Receipt Date	: 30/07/2020
Name	: OFFICE OF DIST.COLLECTRET, SIKAR,	Document S. No.	: 202001501002256
Address	: ...		
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 36609	Evaluated Value	: ₹ 0
Ord-Registration Fee	: ₹ 366	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 329	Stamp Duty	: ₹ 1096
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 1991
		Total Amount	: ₹ 1991

Mode of Payment (#Mode Number Amount #) *Rebate U/S 9(1) : ₹ 731

e-Gras Challan 41417412 ₹ 1341 # Stamp N.A. ₹ 650

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

Cashier

Signature of recipient and date of return receipt

SUB-REGISTRAR

उप पंजीयक, धोद

SANJAY KUMAR SHARMA
Constituted Attorney &
General Manager
Jaipur Retail Region

राजस्थान स्टॉम्प अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत
स्टॉम्प राशि पर अधिरोपित अधिभार
1. आधारभूत ... सुविधाओं हेतु
2. गाय और ... संवर्धन हेतु
कुल योग
हस्ताक्षर स्टॉम्प वेण्डर

संपरिवर्तन पट्टा –डीड

मैं **शब्बीर खान** आयु 34 वर्ष पुत्र मन्नू खां जाति पठान निवासी ग्राम रसीदपुरा तहसील धोद जिला सीकर (राज0) का हूं ।

जो कि ग्राम रसीदपुरा पटवार हल्का रसीदपुरा तहसील धोद जिला सीकर (राज0) की तन में आराजी खसरा नम्बर 1160/1155 रकबा 0.4070 है. भूमि अवस्थित है। जिसका तनहा काबिज, काश्तकार, खातेदार मैं निष्पादकर्ता ही हूं जिस आराजी पर मेरे सिवाय अन्य किसी दीगर का कोई कब्जा, काश्त, हक,अधिकार नहीं है।

जो कि मुझ निष्पादनकर्ता को अपनी स्वयं की वाणिज्यिक (पेट्रोल पम्प) प्रयोजनार्थ रूपान्तरित शुदा भूमि की आवश्यकता होने पर मैंने विहित प्राधिकारी अधिकारी (कलक्टर) सीकर, जिला सीकर के समक्ष विधिवत् आवेदन किया, तदुपरान्त जिला कलक्टर सीकर, द्वारा उक्त आराजी खसरा नम्बर 1160/1155 रकबा 0.4070 है. भूमि में से रकबा 0.1575 है. भूमि अर्थात् 1575 वर्गमीटर भूमि मुझे जरिये संपरिवर्तन आदेश कमांकः एफ.16(37) भू.रू/ग्रामीण क्षेत्र/राजस्व/2020/1370–77 दिनांकः 28–07–2020 के तहत वाणिज्यिक (पेट्रोल पम्प) प्रयोजनार्थ रूपान्तरित की गयी, जिस रूपान्तरित शुदा आराजी पर मुझ निष्पादनकर्ता का ही एकाकी मालिकाना कब्जा, हक,अधिकार, स्वामित्व चला आ रहा है,जिस पर मेरे सिवाय अन्य किसी दीगर का कोई कब्जा, हक,अधिकार स्वामित्व नही है।

जो कि उक्त रूपान्तरित शुदा आराजी वर्तमान में हर प्रकार के ऋण भार, वाद–विवाद से पाक व साफ है।

शब्बीर खान

SANJAY KUMAR SHARMA
Constituted Attorney &
General Manager
Jaipur Retail Region

उप पंजीयक, धोद

लगातार..2

शब्बीर खान आयु 34 वर्ष पुत्र मन्नू खां जाति पठान निवासी ग्राम रसीदपुरा तहसील धोद जिला सीकर (राज0)

SANJAY KUMAR SHARMA
Constituted Attorney &
General Manager
Jaipur Retail Region

अतः यह पट्टा डीड मुझ निष्पांदनकर्ता ने होश–हवाश में बिना किसी नशे–पते व बिना किसी दवाब नाजायज के सक्षम साक्षियान की उपस्थिति में तहरीर व तकमील कर दिया है कि सनद रहे व समय पर काम आवें ।
दिनांक— 30/0[illegible]/2020

हस्ताक्षर साक्षीगण

हस्ताक्षर निष्पादनकर्ता

1. हसन अली आयु 27 वर्ष
पुत्र नजीर खान जाति कायमखानी
निवासी ग्राम सांवलोदा धायलान तह.धोद
जिला सीकर (राज0)।

2. ~~लालचन्द~~ आयु 21 वर्ष [illegible]
पुत्र ~~प्रभातराम~~ जाति ~~बलाई~~ [illegible]
निवासी ~~ग्राम रसीदपुरा~~ [illegible] (सीकर)
~~तहसील धोद जिला सीकर~~ (राज0)।

उक्त प्रलेख निष्पादनकर्ता के बताये
एवं निर्देशानुसार मेरे द्वारा प्रारूपित

(बेनीप्रसाद, डीडराईटर)

SANJAY KUMAR SHARMA
Constituted Attorney &
General Manager
Jaipur Retail Region

Presentation Endorsement

आज दिनांक 30 माह 07 सन् 2020 को 04:11 PM बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री SHABBIR KHAN पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री MANNU KHAN
उम्र 34 वर्ष, जाति PATHAN , व्यवसाय Business
निवासी House No.:0, Colony: 0, Area: RASEEDPURA, TEHSIL-DHOD, DIST.- SIKAR, City: SIKAR , Pin code: 332315, District: SIKAR, State: RAJASTHAN
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
202001501002256

हस्ताक्षर उप पंजीयक, DHOD

पंजीयक, धोद

Order of conversion of land under the Rajasthan Land Revenue (Conversion of agricultural land for non-agricultural purposes in rural area) Rules, 2007 or any other relevant rules.

Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	202002501002292
दिनांक	30-07-2020
पंजीयन शुल्क ₹	366
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	200
अन्य शुल्क ₹	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	1096
कमी सरचार्ज शुल्क ₹	329
कुल योग	1991

202001501002256

उप पंजीयक, DHOD

Order of conversion of land under the Rajasthan Land Revenue (Conversion of agricultural land for non-agricultural purposes in rural area) Rules, 2007 or any other relevant rules.

SANJAY KUMAR SHARMA
Constituted Attorney &
General Manager
Jaipur Retail Region

राजस्थान सरकार

[illegible]

प्रारूप ''ब''

देखिये नियम 9 (3) (4) और (6)

क्रमांकः—एफ.16 ([illegible]) भू.रू./ग्रामीण क्षेत्र/राजस्व/2020/[illegible]　　　　दिनांक : [illegible]

संपरिवर्तन आदेश

आवेदक खातेदार श्री शब्बीर खान पुत्र श्री मन्नू खां, जाति पठान, निवासी ग्राम रसीदपुरा, तहसील धोद, जिला सीकर के आवेदन पर आवेदक की खातेदारी अभिघृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिये संपरिवर्तन) नियम, 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषिक प्रयोजन के लिये इसके द्वारा संपरिवर्तन/नियमितिकरण किया जाता है। जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई है:—

1.	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम पित्ता/पति के नाम सहित पूरा पता।	:	श्री शब्बीर खान पुत्र श्री मन्नू खां, जाति पठान, निवासी ग्राम रसीदपुरा, तहसील धोद, जिला सीकर
2.	क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है	:	नहीं
3.	संपरिवर्तित भूमि का ब्यौरा:—		
	(क) ग्राम/ग्राम पंचायत तहसील का नाम	:	ग्राम/ग्राम पंचायत रसीदपुरा, तहसील धोद, जिला सीकर
	(ख) भूमि का खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल (हैक्टैयर में)	:	खसरा संख्या 1160/1155 रकबा 0.4070 है0
	(ग) प्रत्येक खसरा संख्या के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तित क्षेत्रफल (हैक्टेयर या वर्गमीटर में)	:	खसरा संख्या 1160/1155 रकबा 0.4070 है0 में से 0.1575 है0 अर्थात 1575 वर्ग मीटर
	टिप्पणीः—(अकृषिक प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग की सम्यक रूप से सत्यापित प्रति संलग्न है।)	:	हां।
4.	संपरिवर्तन का प्रयोजन	:	वाणिज्यिक (पेट्रोल पम्प) प्रयोजनार्थ
5.	संदेय प्रीमियम की दर	:	23.18 रू0 प्रति वर्गमीटर (डी.एल.सी. दर का 10%)
6.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा करायी गई प्रीमियम की राशि	:	जीआरएन नं. 37068785 दिनांक 22.01.2020 राशि 15,750/—रू. व जीआरएननं. 40826459 दिनांक 14.07.2020 राशि 20,759/—रू. कुल 36,509/—रू.
7.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो, की जमा कराई गई राशि	:	शून्य
8.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज यदि कोई हो,की जमा कराई गई राशि	:	शून्य
9.	क्या आदेश नियमितिकरण के लिये नियम 13 के अधीन जारी किया गया है।	:	नही
10.	अन्य विशिष्टियां यदि कोई हो	:	इण्डियन रोड़ कांग्रेस के मापदण्डो के अनुसार सड़क के मध्य बिन्दु से 40 मीटर तक भूमि खसरा संख्या 1159/1155 रकबा 0.0630 है0 अर्थात 630 वर्ग मीटर भूमि पगडण्डियां तथा रास्ते हेतु समर्पित की गई है। अतः 40 मीटर भूमि छोड़ने के बाद ही निर्माण किया जा सकेगा। (संलग्न नक्शा अनुसार)

SANJAY KUMAR SHARMA
Constituted Attorney &
General Manager
Jaipur Retail Region

उप पंजीयक,

Endorsement of Execution

अनु क्र. पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	पक्षकारों का प्रकार
1 श्री/श्रीमती/सुश्री OFFICE OF DIST.COLLECTRET, SIKAR, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री DIST.COLLECTOR SIKAR, व्यवसाय जाति Rajasthan Government			Executant Age : 0 Signature :
2 श्री/श्रीमती/सुश्री SHABBIR KHAN , पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री MANNU KHAN , व्यवसाय Businessजाति PATHAN House No.:0, Colony: 0, Area: RASEEDPURA, TEHSIL-DHOD, DIST.- SIKAR, City: SIKAR , Pin code: 332315, District: SIKAR, State: RAJASTHAN	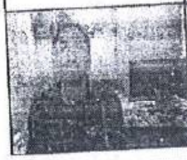		Claimant Age : 34 Signature :

ने लेखपत्र Order of conversion of land under the Rajasthan Land Revenue (Conversion of agricultural land for non-agricultural purposes in rural area) Rules, 2007 or any other relevant rules. को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया।

प्रतिफल राशि रु 36509/- पूर्व में / मेरे समक्ष / मैं से रु 36509/- पूर्व में ------------ से मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है , जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए है।

अनु क्र. गवाहों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1 Name: श्री/श्रीमती/सुश्री AASIF KHAN, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री SATAR KHAN जाति MUSLIM Age: 30 Add: House No.:0, Colony: 0, Area: KASLI, City: SIKAR , Pin code: 332002, District: SIKAR, State: RAJASTHAN			Signature
2 Name: श्री/श्रीमती/सुश्री HASAN ALI, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री NAJIR KHAN जाति KAYAMKHANI Age: 27 Add: House No.:0, Colony: 0, Area: SANWALODA DHAYALAN, TEHSIL- DHOD, DIST.- SIKAR, City: SIKAR , Pin code: 332315, District: SIKAR, State: RAJASTHAN			Signature

उप पंजीयक, DHOD

202001501002256

Order of conversion of land under the Rajasthan Land Revenue (Conversion of agricultural land for non-agricultural purposes in rural area) Rules, 2007 or any other relevant rules.

SANJAY KUMAR SHARMA
Constituted Attorney &
General Manager
Jaipur Retail Region

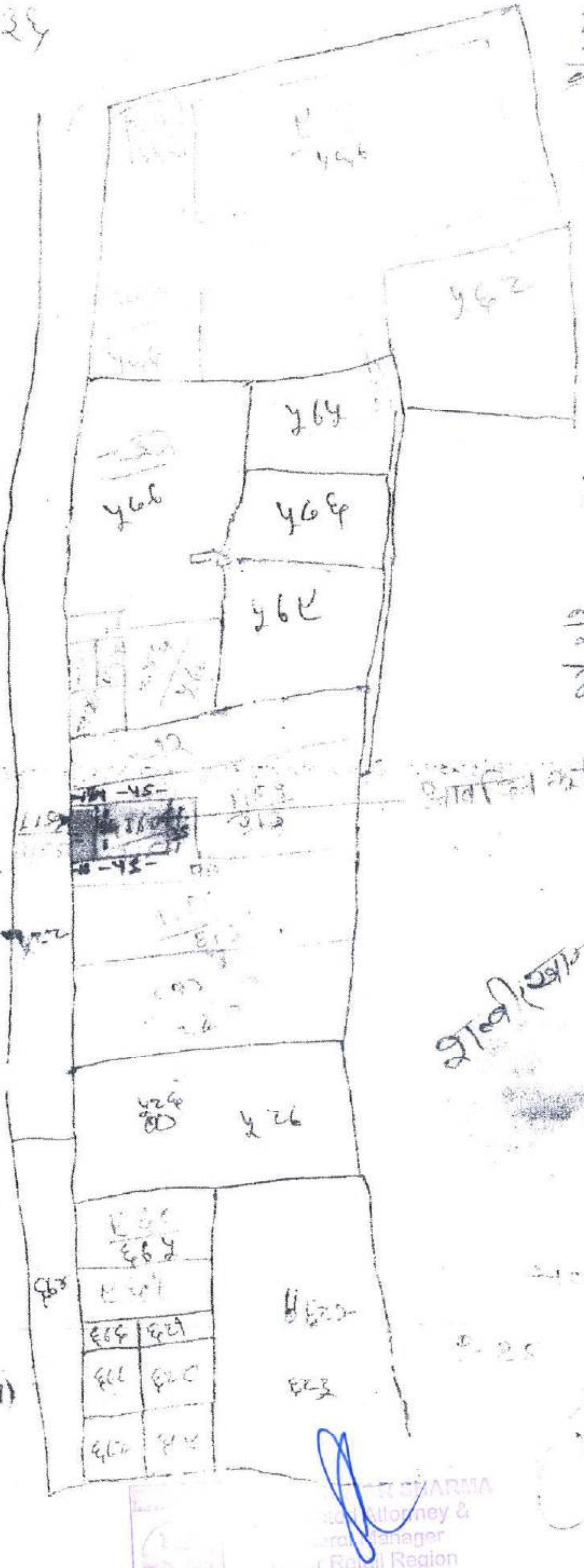

कार्यालय जिला कलक्टर स...
ग्राम रसूलपुरा तहसील ...
... प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन ...
... आदेश पारित ...

प्रतिलिपि 15-4-...

उपखण्ड अधिकारी
... सीकर

तहसीलदार (राजस्व)
... जिला सीकर

26/02/2020

... Attorney &
... Manager
... Retail Region

1. इंडियन रोड़ कांग्रेस द्वारा निर्धारित मापदण्डो के अनुसार सड़क के मध्य से भूमि छोड़कर संपरिवर्तन की कार्यवाही की जावेगी, तथा आवेदक द्वारा आवेदित भूमि तक निर्धारित प्रतिमान के अनुरूप पहुंच मार्ग सुनिश्चित किया जाएगा।
2. उपर्युक्त अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
3. यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 5 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया प्रीमियम धन समपहृत हो जायेगा।
4. नियम 4 से संपरिवर्तित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
5. लोकोपयोगी प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि के किसी भी भाग का अन्य किसी अकृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग विहित प्राधिकारी से विधी मान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नही किया जायेगा।
6. इंडियन रोड़ कांग्रेस द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सड़क के मध्य से भूमि निःशुल्क राज्यपक्ष में समर्पित की गई भूमि में निर्धारित सीमा तक कोई निर्माण कार्य नहीं किया जावेगा।
7. राष्ट्रीय राजमार्ग से जाने के लिए रास्ता चाहे जाने पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से और राज्य सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा संधारित सड़क से रास्ता चाहे जाने पर सार्वजनिक निर्माण विभाग से अनुमति लेनी होगी।
8. प्रकरण में किसी प्रकार की देयता के संबंध में देय राशि भूमिधारक/आवेदक को तत्काल जमा करानी होगी, अन्यथा नियमानुसार वसूली की जा सकेगी।
9. राजस्थान औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड के डिस्पोजल रूल्स 1979 के अनुसार संपरिवर्तित भूमि पर निर्माण कार्य निर्धारित सेट बैक छोड़कर ही करवाया जा सकेगा।
10. प्रदूषण नहीं फैलाया जायेगा तथा पर्यावरण संबंधी राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों को ध्यान में रखा जायेगा।
11. पैट्रोल पम्प का हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार ही निर्माण करना होगा।
12. आवेदित भूमि से यदि पैट्रो उत्पाद पाईप लाईन गूजर रही हो तो राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 15.05.2008 अनुसार पाईप लाईन के मार्गाधिकार की सीमा से 10 मी. की परिधि में तथा डिपो स्थित हो तो डिपो सीमा में 50 मी. की परधि में कोई निर्माण कार्य नही किया जावेगा।
13. संपरिवर्तित भूमि में से 40 प्रतिशत क्षेत्र सुविधाओं के रूप में खुला रखना होगा जिस पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करवाया जायेगा।
14. संपरिवर्तित भूमि का अनुमोदित नक्शा इस संपरिवर्तन आदेश का अनिवार्य भाग होगा।
15. अनुमोदित नक्शे में दर्शायी गयी सुविधा क्षेत्र की भूमि को सार्वजनिक पार्क/सड़क इत्यादि सुविधाओं (जैसा नक्शे में वर्णित हो) के रूप में सर्वप्रथम विकसीत किया जायेगा। इसके उपरान्त ही संपरिवर्तित भूमि का बैचान किया जा सकेगा।
16. संपरिवर्तित भूमि में आधारभूत सुविधाओं यथा पानी, बिजली इत्यादि को विकसित करने के उपरान्त ही गैर कृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन भूमि को संपरिवर्तित उपयेग में लिया जा सकेगा।
17. राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिये संपरिवर्तन) नियम, 2007 व इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी सभी राज्यादेशों आदि की सभी शर्ते लागू होगी।
18. हरित राजस्थान योजना के तहत बाउन्ड्री के सहारे–सहारे पेड़ लगाने होगे एवं आवेदित भूमि से हटाये गये पेड़ो के एवज में तीन गुणा पेड़ लगाने होगे अन्यथा नियमानुसार 500रू. प्रतिवर्ष शास्ति लगायी जावेगी।
19. निर्मित भवन में बरसाती पानी संग्रहण ढांचा निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप बनाया जाएगा।

विहित प्राधिकारी
(अविचल चतुर्वेदी)
जिला कलक्टर,सीकर

SANJAY KUMAR SHARMA
Constituted Attorney &
General Manager
Jaipur Retail Region

क्रमांकः–एफ.16 (34)भू.रू/ग्रामीण/राजस्व/2020/1376-77 दिनांकः– 28/7/20

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. संयुक्त शासन सचिव,राजस्व (भूमि रूपान्तरण)विभाग,राज० जयपुर।
2. संभागीय आयुक्त,जयपुर संभाग,जयपुर।
3. प्रभारी अधिकारी,जिला राजस्व लेखा शाखा, कलेक्ट्रेट, सीकर।
4. उपखण्ड अधिकारी, धोद।
5. तहसीलदार, धोद मय नक्शा ट्रेस।
6. सरपंच, ग्राम पंचायत रसीदपुरा, पंचायत समिति धोद, जिला सीकर।
7. श्री शब्बीर खान पुत्र श्री मन्नू खां, जाति पठान, निवासी ग्राम रसीदपुरा, तहसील धोद, जिला सीकर।
8. रक्षित पत्रावली।

जिला कलक्टर
सीकर

SA... KUMAR SHARMA
...ted Attorney &
...ral Manager
... Retail Region

शब्बीर खान

Under 54 Endorsement

धारा 54 के तहत प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि इस लेख पत्र की मालियत रू 36509 मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक राशि रू 1096 पर कमी पंजीयन शुल्क रू 366, सरचार्ज राशि 329 कुल रू 1791 रसीद संख्या 202002501002292 दिनांक 30-07-2020 में जमा किये गये है।

अतः दस्तावेज को रू 1096 के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

202001501002256

उप पंजीयक, DHOD

Order of conversion of land under the Rajasthan Land Revenue (Conversion of agricultural land for non-agricultural purposes in rural area) Rules, 2007 or any other relevant rules.

Registration Endorsement

आज दिनांक 30/07/2020 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 160 में
पृष्ठ संख्या 58 क्रम संख्या 202003501101361 पर पंजीबद्ध किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 638 के
पृष्ठ संख्या 93 से 101 पर चस्पा किया गया।

202001501002256

उप पंजीयक, DHOD

Order of conversion of land under the Rajasthan Land Revenue (Conversion of agricultural land for non-agricultural purposes in rural area) Rules, 2007 or any other relevant rules.

SANJAY KUMAR SHARMA
Constituted Attorney &
General Manager
Jaipur Retail Region